न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 01/2026
जीसीएमएस नं. 2026/05

प्रार्थी/निगरानीकारः–
ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी/सचिव।

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–
श्री अन्नाराम पुत्र श्री नथुराम जाति जाट निवासी जाटों का बास, ग्राम गंगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 112 मिसल सं. 26/1990–91, जो ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा दिनांक 24.03.1991 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी, श्री सांगाराम चौधरी (अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय **दिनांक 23.03.2026**

1. यह निगरानी ग्राम पंचायत बोरानाडा, पंचायत समिति लूणी, जोधपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत, ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा मिसल सं. 26/1990–1991 में जारी पट्टा सं. 112 दिनांक 24.03.1991 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 07.01.2026 को प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर, दर्ज रजिस्टर की जाकर, अप्रार्थी अन्नाराम को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अन्नाराम की ओर से श्री सांगाराम चौधरी वगैरा अधिवक्ता गण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। ग्राम पंचायत बोरानाडा से बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1990–91 एवं पट्टा सं. 112 दिनांक 24.03.1991 को तलब किया गया। ग्राम पंचायत बोरानाडा ने पत्रांक 265 दिनांक 02.02.2026 से पट्टा सं. 112 (बुक सं. 9) तथा मिसल सं. 26/1990–91 पेश की, परंतु बैठक रजिस्टर पेश नहीं किया है।
3. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा मिसल सं. 26/1990–91 में दिनांक 24.03.1991

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को पट्टा सं. 112 अप्रार्थी के नाम रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी के भाई भींयाराम के सरपंच कार्यकाल के दौरान जारी किया गया है, जिसे ग्रामवासियों की शिकायत पर जांच करके रास्ते की भूमि पर पाया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर निरस्त का नोट अंकित किया गया। उक्त निरस्त नोट को खारिज करने हेतु अप्रार्थी ने निगरानी सं. 16/2022 में पेश की थी, जो निर्णय दिनांक 27.09.2022 से अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने एक एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 16069/2022 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश की। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.03.2023 को रिट याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि अगर पट्टा जारी करने में अन्य कोई अवैधानिकता है, तो ग्राम पंचायत उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः विधि विरूद्ध तरीके से जारी पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की जा रही है। अप्रार्थी मूल रूप से ग्राम गंगाणा का निवासी है, इसलिए वह ग्राम बोरानाडा की आबादी भूमि में पट्टा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अप्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं था, फिर भी अप्रार्थी के सरपंच भाई भींयाराम के कार्यकाल में रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी किया है। पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।

अवैध पट्टे की आड में दिनांक 25.12.2025 को कब्जा करने की कोशिश की गई है। पट्टा सं. 112 की भूमि बोरानाडा से बासनी सिलावटा जाने वाली सडक क्षेत्र में आने के कारण मौके पर कोई जगह नहीं है। पट्टे में दर्शाये आस–पास पडौस भी मौके से मेल नहीं खाते है। पूर्व में मौका निरीक्षण में भी पडौसों का मिलान नहीं हो सका। पट्टा 1961 के नियम 266 की पालना किये बिना ही कब्जे की जांच किये बिना ही जारी किया गया है। रास्ते की भूमि पर अवैध पट्टा जारी होने से आम जनता को असुविधा होगी तथा अवैध व शून्य पट्टा निरस्त योग्य है। दिनांक 25.12.2025 को अवैध पट्टे की आड में भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है, वाद हेतुक से निगरानी अंदर म्याद पेश है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा सं. 112 दिनांक 24.03.1991 को अपास्त किया जावे।

4. अप्रार्थी की ओर से निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का लिखित जवाब दिनांक 06.03.2026 को पेश कर कथन किया है कि यह निगरानी पूनाराम पुत्र भलाराम द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, बोरानाडा से सांठगांठ करके परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् पेश की है तथा ग्राम विकास अधिकारी को निगरानी पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं है।

अप्रार्थी का भूखण्ड बोरानाडा से बासनी सिलावटा जाने वाली सडक पर सडक से पूर्व दिशा में है, जिसके पूर्व में भलाराम का भूखण्ड, पश्चिम में सडक, उत्तर में भलाराम का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भूखण्ड तथा दक्षिण में ओमाराम का भूखण्ड है, जिसका क्षेत्रफल 55 वर्गगज है। जिस पर वादी का ही स्वामित्व व कब्जा है। भलाराम के परिवार द्वारा अप्रार्थी के भूखण्ड पर कब्जा करने की नियत से, वर्ष 2015 में सरपंच मांगीलाल से सांठ गांठ करके, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 112 दिनांक 24.03.1991 पर पट्टा खारिज करने का नोट लगवाया तथा कब्जाधारी पूनाराम को नया पट्टा जारी किया जाता है तथा पट्टे के मुख्य पृष्ठ व पुश्त पर क्रोस का निशान लगवाया, जिसकी जानकारी अप्रेल 2022 में हुई, जब पूनाराम द्वारा भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। दिनांक 13.04.2022 को पट्टे की नकल प्राप्त कर निगरानी सं. 16/2022 पेश की गई थी, जो निर्णय दिनांक 27.09.2022 को खारिज की है, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी अनाराम ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 16069/2022 पेश की गई थी, जो निर्णय दिनांक 22.03.2023 से निस्तारित कर, पट्टे पर लगे निरस्त के नोट को निष्प्रभावी घोषित किया तथा पूनाराम को पट्टा सं. 112 की भूमि पर कोई क्लेम पेश नहीं करने हेतु पाबंद किया। फिर भी भलाराम के कुटुंब के सदस्यो ने अप्रार्थी के भूखण्ड की जमीन को, उनके पूर्व व उत्तर दिशा में स्थित भूखण्डों की जमीन में शामिल करके, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी ने दिनांक 06.04.2023 को एक सिविल वाद बाबत कब्जा जायदाद स्थावर संपति भूखण्ड, वसूली उपयोग व उपभोग की राशि बतौर हर्जाना, आदेशात्मक आज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद सं. 80/2023 व दीवानी विविध वाद सं. 126/2023 पेश किया, जो वर्तमान में अपर जिला न्यायाधीश सं. 01 जोधपुर महानगर में विचाराधीन है तथा विविध प्रकरण सं. 126/2023 में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.05.2023 जारी की गई है। उक्त जानकारी होते हुए भी पूनाराम पुत्र भलाराम द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बोरानाडा से सांठगांठ करते हुए यह निगरानी गलत रूप से म्याद अवधि गुजरने के बाद पेश की गई है जबकि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी सं. 16/2022 से ही ग्राम पंचायत को पट्टा सं. 112 दिनांक 24.03.1991 की पूरी जानकारी हो चुकी थी। अतः यह निगरानी म्याद बाहर पेश होने से खारिज योग्य है तथा धारा 5 का प्रार्थना अस्वीकार योग्य है। .

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई।
6. निगरानीकार ग्राम पंचायत बोरानाडा के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम गंगाणा का निवासी है फिर भी उसे ग्राम बोरानाडा में भूमि का पट्टा दिया है, जो कानूनी रूप से गलत है, हालांकि तत्समय ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा का ही भाग था। धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने में धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। आक्षेपित पट्टा रास्ता की भूमि पर जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में पेश निगरानी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

खारिज होने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह निगरानी पेश की गई है। सिविल कोर्ट में लंबित तथाकथित वाद प्राईवेट पार्टीज के बीच में है, उसमें ग्राम पंचायत पक्षकार ही नहीं है। अप्रार्थी ने इस न्यायालय में पूर्व में जो रिविजन पिटीशन पेश की थी, वह पट्टे पर लाल स्याही अंकित नोट को हटाने के पेश की थी, न कि पट्टे की वैद्यता के परीक्षण के लिए पेश की थी। सन् 2015–20 की अवधि में सरपंच द्वारा पट्टे पर लाल स्याही से अंकन का कोई सबूत पेश नहीं किया है। ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत की ओर से निगरानी पेश करने का अधिकार है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

7. निगरानीकार की उक्त बहस का खण्डन करते हुए अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी ने बहस करते हुए तर्क दिया कि आक्षेपित पट्टा दिनांक 24.03.1991 को जारी किया गया। अवैध रूप से पट्टे पर खारिज का नोट बाद में लगाया गया, जो पूनाराम की मिलीभगत से लगाया था। पूर्व में अप्रार्थी अनाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी सं. 16/2022 में ग्राम पंचायत पक्षकार थी जिसमें पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 से आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त किया जाना नहीं माना गया तथा उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 22.03.2023 के आदेश में पूनाराम का आक्षेपित पट्टे की भूमि पर कोई हक नहीं माना है। पट्टा सं. 112 की भूमि पर पूनाराम वगैरा द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण, अप्रार्थी ने एक सिविल वाद पूनाराम वगैरा के विरूद्ध पेश कर रखा है। यह निगरानी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बोरानाडा की अनुमति के बिना पेश की है, जो संधारण योग्य नहीं है।

   सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा ग्राम पंचायत बोरानाडा से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन कर उस पर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

9. (A)मिसल सं. 26/1990–91 पर उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा अप्रार्थी अनाराम के आवेदन पर दिनांक 20.11.1990 को मिसल सं. 26/1990–91 कायम की गई तथा तत्समय प्रवर्तनशील नियम 1961 के नियम 257 के तहत नक्शा बनाने का प्रस्ताव पारित किया। दिनांक 05.12.1990 को मौका नक्शा पेश होने पर तीन वार्ड पंचों की कमेटी मौका निरीक्षण हेतु गठित की। दिनांक 20.12.1990 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई तथा प्रपत्र 50 में नियम 260 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की। दिनांक 20.01.1991 को सार्वजनिक आपत्तियां प्राप्त नही होने पर पुराना कब्जा मानकर, नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 05.02.1991 को आपसी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बातचीत के जरिये 55 रूपये की राशि वसूल कर पट्टा जारी करने का निर्णय लेना अंकित किया है। दिनांक 24.03.1991 को रसीद सं. 31 से 5 रूपये नक्शा फीस तथा 55 रूपये पट्टा फीस वसूल कर पट्टा सं. 112 बनाप 55 वर्गगज बहक अप्रार्थी अन्नाराम पुत्र नथुराम के नाम जारी किया गया है।

(B)पट्टा बुक में उपलब्ध पट्टा सं. 112 पर लाल स्याही से "पट्टा खारिज", यह पट्टा खारिज किया जाता है। कब्जाधारी पूनाराम को नया पट्टा जारी किया जाता है"– अंकित है परंतु लाल स्याही से अंकित उक्त इन्द्राज सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षरों से एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी प्रस्ताव से प्रमाणित नहीं है।

10. उक्त कांटछांट को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 16069/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 से ग्राम पंचायत व पूनाराम की ओर से प्रस्तुत कथनों को आधार पर निष्प्रभावी करार दे दिया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

"Upon such submissions made by learned counsel for the respondents, the present petition virtually has become infructuous, because the private party as well as gram panchayat are not disputing the Patta No. 112, which has been granted to the present petitioner and once gram panchayat itself is categorically stated that there is no such cancellation or endorsement in question, then no further adjudication is called for. The present petition is thus, disposed of while directing that note of cancellation if any, made shall not bear any remification upon the Patta in question. The rights arising out of the said Patta are safeguarded. What so ever strictly in accordance with law. It is also directed that the respondent No. 2 shall not claim any right over patta no. 112. However, in case any other illegality apart from this is in the Patta, it shall be open for the gram panchayat to take appropriate action."

11. उक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2023 के अनुसार ग्राम पंचायत को आक्षेपित पट्टा जारी करने में हुई अन्य अवैधानिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की है, परंतु ग्राम पंचायत ने दिनांक 07.01.2026 को अर्थात् लगभग तीन वर्ष बाद यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पेश की है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उसने कथन किया है कि 06.04.2023 को उसने पूनाराम वगैरा के खिलाफ सिविल मूल वाद सं. 80/2023 तथा विविध दीवानी प्रकरण सं. 126/2023 में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

थी अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.03.2023 को पारित आदेश के बाद महज 15 दिन बाद दिनांक 06.04.2023 को सिविल वाद दायर किया गया है, जिसमें अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत को निगरानीकार के कथन अनुसार पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त घटनाक्रम के बाद दिनांक 07.01.2026 को यह निगरानी इस आधार पर पेश की है कि अप्रार्थी ग्राम गंगाणा का निवासी है। अतः उसे ग्राम बोरानाडा की आबादी में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। निगरानीकार ने अपने उक्त तर्क का समर्थन विधि प्रावधानों से नहीं किया है, बल्कि स्वीकार किया है कि पट्टा जारी करने की तिथि 24.03.1991 को ग्राम गंगाणा ग्राम पंचायत बोरानाडा का ही हिस्सा था। इस प्रकार पट्टा निरस्त करने का यह आधार अमान्य है।

ग्राम पंचायत का दूसरा आक्षेप यह है कि जारी किये गये पट्टे की भूमि सडक का भाग है, परंतु उक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई नक्शा या दस्तावेज पेश नहीं किया है कि उस समय सडक की कितनी चौडाई अनुमत थी तथा किस प्रकार से पट्टे की भूमि सडक सीमा में आ रही है। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई जांच रिपोर्ट भी पेश नहीं की है, जिससे निगरानीकार के कथनों की पुष्टि होती हो। इसके विपरीत आक्षेपित पट्टा जारी करते समय दिनांक 20.12.1990 को वार्ड पंचों की तीन सदस्य कमेटी ने ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगाया है, बल्कि यह लिखा है कि विक्रय की जाने वाली भूमि का पट्टा जारी करने से ग्रामवासियों के आने जाने की सुविधाओं तथा अन्य व्यक्तियों के सुविधा अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अतः निगरानीकार का उक्त आक्षेप भी साक्ष्य/सबूत के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। निगरानीकार ने यह भी आक्षेप लगाया है कि पट्टाधारी अनाराम, तत्समय ग्राम पंचायत के सरपंच भींयाराम का भाई था। इसका भी कोई साक्ष्य/सबूत हमारे समक्ष पेश नहीं किया है। अतः यह आक्षेप भी अमान्य है।

12. आक्षेपित पट्टा दिनांक 24.03.1991 को जारी हुआ है, जिस पर गैर कानूनी तरीके से ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में पट्टा निरस्त करने का नोट लगाया गया है, जो एक गंभीर अनियमितता है। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड पब्लिक अभिलेख है, जिसका संरक्षण करने, सुरक्षित रखने की सामूहिक जिम्मेवारी सरपंच, सचिव एवं ग्राम पंचायत के अन्य समस्त पदाधिकारियों की है। उक्त अवैध नोट को अपास्त करवाने हेतु अप्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित में आदेश दिनांक 22.03.2023 से पट्टे को अन्य अनियमितताओं के आधार पर चुनौती देने की ग्राम पंचायत को छूट दी परंतु ग्राम पंचायत ने तीन वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा अब दिनांक 07.01.2026 को यह निगरानी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस न्यायालय में पेश की है। यह निगरानी पेश करने हेतु एवं ग्राम विकास अधिकारी को अधिकृत करने हेतु ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा पारित प्रस्ताव निगरानी के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

साथ पेश नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपित पट्टे को, जिस पर सरपंच एवं तत्कालीन सचिव भगाराम के हस्ताक्षर है, को निरस्त करने हेतु ग्राम पंचायत बोरानाडा की अनुमति के बिना, केवल ग्राम विकास अधिकारी को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा कोई नियम हमें नहीं दिखाया गया।

यह निगरानी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तीन वर्ष बाद पेश की है, जो स्पष्टतः म्याद बाहर है।

13. (i)माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम भटिण्डा डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स युनियन लि. (2007)11 SCC के पैरा 18 व 19 में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की हैः–

"18. It is trite that if no limitation has been prescribed, statutory authority must excercise its jurisdiction within a reasonable period. What, however, shall be reasonable period would depend upon the nature of statute, rights and liabilities thereunder and other relevant factors.

19. Revisional jurisdication, in our opinion, should ordinarily be excercised within a period of 3 years having regard to the purported in terms of the said Act. In any event, the same should not exceed the period of five years....."

(ii)Jt. Collector Ranga Reddy District and others VS D. Narsing Rao & Ors. AIR 2015 SC 1021; (iii)Tara & others VS State of Rajasthan, RHC Jodhpur (F.B.), DB Civil Spl. Appeal (Writ) No. 185/2001, दिनांक 15.07.2015 एवं अन्य कई न्यायिक विनिश्चयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में निगरानी एक वर्ष की अवधि में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. हस्तगत प्रकरण में यह निगरानी करीब 35 वर्ष के बाद पेश की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2023 से भी लगभग तीन वर्ष बाद बिना किसी ठोस आधार के पेश की गई है, जिसमें फ्रॉड का भी कोई आक्षेप नहीं है तथा ग्राम पंचायत को आक्षेपित पट्टा दिनांक 24.03.1991 की भी भलीभांति जानकारी थी। यह जानकारी निगरानी सं. 16/2022 (2022/34) दिनांक 25.04.2022 से भी थी, क्योंकि उसमें ग्राम पंचायत पक्षकार थी तथा इस नई निगरानी दिनांक 07.01.2026 को पेश करते समय साथ

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में धारा 5 म्याद एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें पट्टे पर नोट लगाना भी स्वीकार किया है तथा दिनांक 25.12.2025 को अप्रार्थी द्वारा भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने पर पट्टा विलेख की नकल लेकर निगरानी अंदर म्याद प्रस्तुत होना कथित किया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों से बिल्कुल ही भिन्न, बेबुनियाद एवं विरोधाभाषी एवं बनावटी कथन है तथा देरी को क्षम्य करने हेतु संतोषजनक एवं पर्याप्त तथा समुचित कारण नहीं है। अतः यह न्यायालय निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी भी विलंबित रूप से पेश होने के कारण खारिज योग्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 3812/2020 (कपूराराम बनाम भूरी देवी व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 के पैरा 7 में इस प्रकार प्रतिपादित किया है:–

7. ..... The Delay in approaching the revision court without any justifiable reasons and after expiry of a reasonable time cannot be held to be bonafide or unintentional. Further, the delay also cannot be said to be bonafide for the reason that the civil suit was filed by the respondents i.e. legal representatives of Vachnaram seeking permanent injunction in the year 2010, which is prior to the filing of the revision petition.

15. पूर्वोक्त अनुच्छेदों में किये गये विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषणानुसार यह निगरानी मेरिट के आधार पर भी खारिज योग्य है। निगरानीकर्ता निगरानी मीमों में अंकित अनियमितताओं को साक्ष्य सबूत से साबित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप यह निगरानी गुणावगुण पर भी खारिज योग्य है।

आदेश

16. परिणामस्वरूप, यह निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा मिसल सं. 26/1990–91 में जारी पट्टा 112 दिनांक 24.03.1991 बनाप 55 वर्गगज बहक श्री अन्नाराम पुत्र नथुराम निवासी गंगाणा को यथावत रखा जाता है।
17. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत बोरानाडा, पंचायत समिति लूणी को लौटाया जावे।
18. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

19. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर